संख्या–4580 / 9–आ–1–99–120वि0 / 98

प्रेषक,

रामवृक्ष प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

आवास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 13 अक्टूबर, 1999

विषय :– अनाधिकृत निर्माण के शमन की द्वितीय संशोधन उपविधि लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–869 / प्रवर्तन खण्ड / 99, दिनांक 7–6–99 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा द्वितीय संशोधन शमन उपविधि को गाजियाबाद विकास क्षेत्र में लागू किये जाने तथा परिष्कृत शमन उपविधि के कतिपय प्राविधानों को स्पष्ट किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे आपको यह सूचित करने की अपेक्षा की गयी है कि द्वितीय संशोधन शमन उपविधि,1998 (स्वैच्छिक शमन उपविधि) को कतिपय परिष्कारों सहित गाजियाबाद विकास क्षेत्र में लागू किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–3689 / 9–आ–1–1999, दिनांक 27–7–99 द्वारा निर्देश जारी किये जा चुके हैं। उक्त उपविधि के अनुसार 1000 वर्गमीटर से ऊपर के क्षेत्रफल के भूखण्डों पर ग्रुप हाउसिंग के निर्माण से सम्बन्धित प्रकरणों को प्रशमनित किये जाने का प्राविधान शासनादेश संख्या–4167 / 9–आ–1–1998, दिनांक 29–10–98 द्वारा जारी स्वैच्छिक शमन उपविधि के नियम संख्या–3 (3) तथा अनुसूची के क्रमांक–1 (IV) 2 (ख) तथा 4 में दिया गया है। कृपया द्वितीय संशोधन उपविधि को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण क्षेत्र में तत्काल लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
रामवृक्ष प्रसाद,
संयुक्त सचिव।